16

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– एल0एस0कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 356 / 2021

अशोक कुमार पुत्र फूलसिंह, जाति जाट, निवासी ग्रा0पो0 माकडो, तहसील बुहाना, प0स0 सिंघाना, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333504, मो0न0 9352663804

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 356 / 2021 पर दिनांक 10.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 6117–18 दिनांक 10.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपख़ण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पीए / आरटीआई / 2022 / 1172 दिनांक 23.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र फूलसिंह, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 1, ग्राम माकडों, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं मो0न0 9352663804 का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत को इस कार्यालय को प्राप्त होने पर आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जरिये रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय समसख्यंक पत्रांक 1104–1105 दिनांक 11.10.2022 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना पत्रांक पीए / आरटीआई / 2022 / 1172 दिनांक 23.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र फूलसिंह, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 1, ग्राम माकडों, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं मो0न0 9352663804 का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत को इस कार्यालय को प्राप्त होने पर आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जरिये रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय समसख्यंक पत्रांक 1104–1105 दिनांक 11.10.2022 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनू